तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1113/2006/बीकानेर दुलीचंद बनाम रामचन्द्र वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्रीमती विनीता श्रीवास्तव, सदस्य

उपस्थितः-
श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता, अपीलान्ट
विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही

निर्णय
दिनांकः- 10-08-2020

हस्तगत् द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा-76 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19-11-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर बीकानेर के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आवंटन नियम 1970 के तहत ग्राम भानीपुर स्थित खसरा संख्या 20 में रकबा 75 बीघा का किये गये आवंटन दिनांक 16-07-1971 को निरस्त करने हेतु नियम 14 (4) के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र के क्रम में जिला कलक्टर बीकानेर ने आदेश दिनांक 31-05-1999 द्वारा आलोच्य आवंटन निरस्त किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के समक्ष अपील पेश किए जाने पर अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 20-07-2000 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्रकरण को पुनः जिला कलक्टर बीकानेर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलान्ट को सुनकर व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर तथा पुनः जांच कर निर्णय पारित करें। उक्त प्रतिप्रेषण आदेश की पालना में जिला कलक्टर बीकानेर ने मामले में पुनः विचारण करते हुए आदेश दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1113/2006/बीकानेर दुलीचंद बनाम रामचन्द्र वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	31-03-2001 द्वारा आवंटी का आलोच्य आवंटन निरस्त कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किए जाने पर न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 19-11-2005 पारित करते हुए अपील को खारिज कर दिया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त आक्षेपित निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है। हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को त्रुटिपूर्ण बताया। उनका कहना है कि आवंटी ने प्रार्थना पत्र में किन्हीं तथ्यों को छिपाया नहीं है तथा उनके व उनके पिता के धारण में लिप्त भूमि के बारे में सत्य वचनों को समावेश किया है। इसके अतिरिक्त आवंटी के दादा के धारण में जो भूमि थी जो कि स्वअर्जित होने के कारण ऐसी भूमि आवंटी व उसके पिता की नहीं मानी जा सकती। यह भी बताया कि जो भूमि चुन्नीलाल से प्रार्थी के पिता को प्राप्त हुई थी वह आवंटन के बाद प्राप्त हुई है। उनका यह भी कहना है कि आवंटी के पिता द्वारा धारित भूमि को पैतृक भूमि भी माना जाए तो प्रार्थी का उक्त भूमि में नोशनल शेयर के हिसाब से केवल 9 बीघा ही हक बनता है, इस प्रकार आवंटी भूमिहीन की श्रेणी में आने से आवंटन का अधिकारी है। उन्होंने बताया कि मामले में जिला कलक्टर बीकानेर ने अपीलीय न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की है। यह भी बताया कि आवंटित रकबे का आवंटी खातेदार बन चुका है तथा काफी धनराशि व्यय करके भूमि को उपजाऊ व खेती योग्य बनाया है। उनका यह भी तर्क	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1113/2006/बीकानेर दुलीचंद बनाम रामचन्द्र वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	है कि प्राथी ने आवंटित रकबे के बाबत किसी प्रकार के तथ्यों को नहीं छिपाया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर का निर्णय दिनांक 19-11-2005 एवं जिला कलक्टर बीकानेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-03-2001 को निरस्त करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को भी निरस्त किए जाने का निवेदन किया। उन्होंने अपने तर्को के समर्थन में 1999 आरआरडी 597, 1997 आरएलआर-II 48 व 1994 एआईआर एससी 1128 के उद्धरण पेश किए। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली के साथ उपलब्ध निर्णयों तथा संलग्न दस्तावेज का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया रेकार्ड में उपलब्ध दस्तावेज के आद्योपान्त परीक्षण से यह तथ्य उजागर होता है कि जमाबंदी सम्वत 2053-2056 के अनुसार अपीलान्ट के पिता उमाराम के नाम 24-78 हैक्टर भूमि बतौर खातेदार दर्ज है तथा इसी अनुसार जमाबंदी सम्वत 2028-2033 के अनुसार आवंटी के दादा चुन्नीलाल के नाम 99-12 बीघा बतौर बंदोबस्त खातेदार का अंकन है। उक्त रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि उक्त भूमि आवंटी के पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं होकर उनके दादा के समय से चली आने के कारण पैतृक सम्पत्ति है। इस तथ्य को आवंटी ने अपने जवाब में भी स्वीकार किया है। साराशंतः ऐसी भूमि पर आवंटी का जन्म से अधिकार हासिल है। रेकार्ड से परिलक्षित होता है कि उक्त तथ्यों को आवंटी ने आवेदन पत्र में छिपाया है। द्वितीय आवंटित रकबे पर आवंटी का किसी प्रकार का कब्जाकाश्त हो, ऐसा कोई प्रमाण आवंटी ने न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। साथ ही यह भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1113/2006/बीकानेर दुलीचंद बनाम रामचन्द्र वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	स्थिति प्रकट होती है कि प्रश्नगत रकबे के आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता था। अतः रेकार्ड से प्रथम दृष्ट्या यह प्रमाणित होता है कि अपीलांट/आवंटी ने आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रश्नगत रकबे के आवंटन हेतु आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का समावेश किया है। आवंटी को आवंटित भूमि का कब्जा आवंटन की दिनांक को भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया गया हो, यह कहीं घटनाबही पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवंटी के पक्ष में किए गए आवंटन का समर्थन नहीं किया जा सकता। अपीलान्ट ने जिन न्यायिक दृष्टान्तों का अवलम्बन लिया है, उनसे हम सहमत नहीं है। मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में सभी आवश्यक पहलुओं पर पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करते हुये विधिक रूप से निर्णय पारित किया है, जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः हमारी विनम्र राय में हस्तगत अपील में विधि का कोई उपचार उपलब्ध नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य पायी जाती है। परिणामस्वरूप प्रस्तुत अपील खारिज करते हुये अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 19-11-2005 विधिक रूप से उचित होने से पुष्टी की जाती है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(विनीता श्रीवास्तव)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/1113/2006/बीकानेर दुलीचंद बनाम रामचन्द्र वगैरहा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए